

भाग-2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना/स्कीम का स्थान	माई ओन इको एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कुशीनगर-हाटा मार्ग एन0एच0-27 (पुराना एन0एच0-28) के किमी0 सं0-310 (चैनेज सं0-309.915) के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0-2मि0, 31, 3मि0, व 4मि0, ग्राम-छपरा भगत, तहसील-हाटा, जिला-कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित संरक्षित वन भूमि पर गैर वानिकी कार्य की अनुमति।
	(1)राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
	(2)जिला	कुशीनगर।
	(3)वन प्रभाग	वन प्रभाग, कुशीनगर।
	(4)वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.17416 हे0
	(5)वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन पर स्वामित्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई का है।
	(6)हरीयाली का घनत्व	
	(7)प्रजाति-वार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न किए जाये)सिचाई / जलीय परियोजनाओं के संबंध में एक आर0एल0एफ0आर0एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किए जाये	1. कंजी (Pongamia Pinnata) सीना माप 70 सेमी0, व्यास वर्ग (61-90) सेमी0।
	(8)भुक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
	(9)वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	
	(10)क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जायें)	नहीं।
	(11)क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्रीणजात की दुर्लभ / संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/ नहीं तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दें।	नहीं।
	(12)क्या कोई सुरक्षित पुरात्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।

8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परीयोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	न्यूनतम हैं।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी तक चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा-	सलंगन है।
	(1)प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर क्षेत्र/ अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्ड का आकार।	आयताकार।
	(2) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण वनेत्तर/ अवकमित वनेत्तर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास के वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	सलंगन है।
	(3) रोपित किये जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कायान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदी।	सलंगन है।
	(4)प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	3.04 लाख।
	(5)प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारण क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धित दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जायें)	सलंगन है।
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (XI,XII) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (सलंगन करे)	सलंगन है।
12	विभाग / जिला प्रोफाइल	
	(1)जिले का भौगोलिक क्षेत्र	2905 वर्ग कि०मी०।
	(2) जिले का वन क्षेत्र	382.40 हे०
	(3)मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	101.0544 हे०
	(4)1980 से जिला/प्रभाग ने निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	36,188 पौध।

	(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	—
	(ख) वनेत्तर भूमि	—
	(5) अबतक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	123.80 हे०
	(क) वन भूमि पर	71.36 हे०
	(ख) वनेत्तर भूमि पर	52.44 हे०
13	प्रस्ताव को स्वीकार करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग हेतु न्यू रिटेल आउटलेट खोलने हेतु प्रस्ताव की संस्तुति की जाती है।

तिथि—.....

हस्ताक्षर—.....

स्थान—.....

नाम हसन
प्रभागीय वनाधिकारी
कुशीनगर
 सरकारी मोहर—.....

द.र.
क्षेत्रीय वन अधिकारी
हाटा रेंज, कुशीनगर

र.
क्षेत्रीय वन अधिकारी
तमकुन्नी रेंज, कुशीनगर

H. Singh
उप प्रभागीय वनाधिकारी
कुशीनगर-पडरौन